न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का

बहक श्री कानाराम
पुत्र श्री मोतीराम
जाति जाट नि. हरकोली

मुकदमा नं. 2 /2018

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 4/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम हरकोली है खसरा नम्बर 132 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गा.म.4 (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री कानाराम मोतीराम पुत्र श्री — जाति जाट कब्जा रखीक निवासी हरकोली (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाड़ा बना कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम हरकोली ख.न. 132 रकबा 0.02 है. किस्म गा.म.4 पर संवत 2075 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर कब्जा रखीक बाड़ा बना कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से वेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 5 का 50 गुणा रूपया 5 मा. (रूपये पांच रूपये मात्र) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की कियान्विती हेतु पटवारी हल्का बैरथ भु. अभिलेख निरीक्षक बाजोट एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 4/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

2018-19 ... पृष्ठ सं. 63
... 05/- ... रु. की
...

तहसील राजस्व लेखाकार
15-3-19

Scanned by CamScanner